

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०2, अलीगढ़।

आदेश

दिनांक-09-05-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(अल्का सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०-02, अलीगढ़
जे.ओ. कोड-UP3686

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -125/2026

राज्य

बनाम

फैजान

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BQ3631

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -124/2026

राज्य

बनाम

सैय्यद मुस्तफा अली

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BE9283

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -123/2026

राज्य

बनाम

शागुप्त परवीन

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BU2709

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -122/2026

राज्य

बनाम

अरुन यादव

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP83AN1915

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -121/2026

राज्य

बनाम

हैदर अली

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81U5502

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -120/2026

राज्य

बनाम

मौ० गुफरान

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BJ0566

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -119/2026

राज्य

बनाम

संजय कुमार अग्रवाल

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BA5375

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -118/2026

राज्य

बनाम

सकील

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-HR74B9855

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -117/2026

राज्य

बनाम

अभिषेक भारद्वाज

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP86U4260

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -116/2026

राज्य

बनाम

जीतू चौधरी

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP80BW3226

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -115/2026

राज्य

बनाम

सतीष कौशिक

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP15CL6325

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या –114/2026

राज्य

बनाम

पुरुषोत्तम

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BW4161

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए – 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या –113/2026

राज्य बनाम मुकित अली
थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०
अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम
वाहन संख्या-DL5SBJ5427
चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए – 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -112/2026

राज्य

बनाम

खलील खान

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81AY2825

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -111/2026

राज्य बनाम मुकेश कुमार अरोरा
थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०
अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम
वाहन संख्या-UP81CH3781
चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या –110/2026

राज्य

बनाम

नीरज कुमार

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BR9164

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए – 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -109/2026

राज्य

बनाम

चन्द्र प्रकाश

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81BW9926

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -108/2026

राज्य

बनाम

गुड्डू

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP13V3913

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -107/2026

राज्य

बनाम

हरी सिंह

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP81AS3146

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -106/2026

राज्य

बनाम

फरमान

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-UP13AH1113

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०८, अलीगढ़।

वाद संख्या -105/2026

राज्य

बनाम

रवि कुमार

थाना- यातायात पुलिस/आर०टी०ओ०

अन्तर्गत धारा- मोटर व्हीकल अधिनियम

वाहन संख्या-DL7SAR0877

चालान तिथि-16.06.2021

14-03-2026

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के समक्ष दिनांक 31.12.2021 के पूर्व लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1651/एसएलएसए - 127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अध्यादेश उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 द्वारा उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 (1) एक में उल्लिखित मोटर यान अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का, जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांकित 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 31.12.2021 के पूर्व से लम्बित है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट सं०८, अलीगढ़।